

**शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार**  
**मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए आवेदन पत्र वष 2021-22**

छात्र की छात्रवृति यूनीक आई.डी.....  
(पूर्ति संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल से की जावेगी)

छात्रा की  
फोटो

1.	विद्यालय का नाम	
2.	छात्रा का नाम	
3.	छात्रा की माता का नाम	
4.	छात्रा के पिता का नाम	
5.	संरक्षक का नाम( माता-पिता के जीवित ना होने की स्थिति में)	
6.	माता-पिता के जीवित ना होने की स्थिति में माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक व क्रमांक	
7.	छात्रा की जन्म तिथि (अंको एवं शब्दों में)	
8.	कक्षा एवं सेक्षण जिसमें अध्ययनरत है	
9.	छात्रा का विद्यालय में प्रवेश दिनांक एवं एस.आर. नम्बर	
10.	गत कक्षा के विद्यालय का नाम व पता( तृतीय किष्ट के अलावा उत्तरवर्ति किश्तों के लिए)	
11.	अभिभावक/संरक्षक के मोबाइल नम्बर	
12.	जाति वर्ग ( अजा/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य/अल्पसंख्यक/एमबीसी )	
13.	धर्म	
14.	छात्रा का आधार नम्बर/एनरोलमेंट नम्बर	
15.	जन आधार नम्बर/एन्नोलेजमेन्ट नम्बर	
16	स्थाई पता	

नोट:- वांछित दस्तावेज संलग्न करते हुए सामने के कॉलम में  का निशान अंकित करें।

कंम सं.	योजना के विस्तृत दिषानिर्देशो के अनुसार संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज	संलग्न कर <input checked="" type="checkbox"/> करें
1.	Pregnancy Child Tracking and Health Service Management System ID (PCTS ID/Card)	
2.	दो संतानो संबंधी स्वघोषणा प्रमाण-पत्र (अभिभावक/संरक्षक)	
3.	जन आधार कार्ड (अभिभावक/संरक्षक द्वारा प्रमाणित प्रति)	
4.	माता-पिता के जीवित ना होने की स्थिति में माता-पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की संरक्षक द्वारा प्रमाणित प्रति	

अभिभावक/संरक्षक के हस्ताक्षर

जांचकर्ता/कक्षा अध्यापक

संस्था प्रधान के हस्ताक्षरमय मोहर